भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

06.08.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2862 का उत्तर

तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आरओबी और आरयूपी

2862. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे के अंतर्गत स्वीकृत रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) और रेल अंडर पास (आरयूपी) का ब्यौरा क्या है, जिसमें प्रत्येक परियोजना का स्थान, लागत और वर्तमान स्थिति शामिल है;

(ख) स्वीकृत आरओबी और आरयूपी के पूरा होने की समय-सीमा क्या है और सरकार द्वारा समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में तमिलनाडु में कोई नए आरओबी और आरयूपी स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में समपारों के स्थान पर रेलपथ के आस-पास 235 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल आदि स्वीकृत किए गए हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 82 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का कार्य राज्य सरकार के कारण लंबित है। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कारण	ऊपरी/निचले सड़क पुल
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब	22
2.	राज्य सरकार द्वारा समपार बंद करने की सहमति	26
3.	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूप देना	23
4.	कानून और व्यवस्था/जन आंदोलन आदि	11

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान, तमिलनाडु राज्य में 9 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

भारतीय रेल में ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करना और उनका निष्पादन करना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर इसके पड़ने वाले प्रभाव और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-25 (जून, 2025) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जून, 25)	13,426 अदद (तमिलनाडु राज्य में 747 अदद सहित)

किसी भी ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्य का पूरा होना समपार फाटकों को बंद करने की सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्गों के संरेखण निर्धारित करना, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, बाधक सुविधाओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष/कार्य स्थलों के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन के समय को प्रभावित करते हैं।

*****